

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/समन्वय/2023/VC/1833

भोपाल, दिनांक 10/05/2023

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर,
सागर, जबलपुर, रीवा।
2. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग- भोपाल संभाग क्र- 1 एवं 2
होशंगाबाद(नर्मदापुरम), इंदौर, उज्जैन, सागर,
जबलपुर, रीवा, सिवनी, खरगौन, मंदसौर, ग्वालियर,
मुरैना (चंबल संभाग)
3. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषय:-आंचलिक अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक, मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक तथा आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी कार्यपालन यंत्रियों की साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस समीक्षा के संबंध में प्राथमिकता के चर्चा बिन्दु।

विषयान्तर्गत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक संयुक्त संचालक तथा कार्यपालन यंत्रियों, तकनीकी संभाग की प्रति माह समीक्षा बैठक मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में आयोजित की जाती है एवं आंचलिक अधिकारी, कार्यपालन यंत्री तथा मण्डी सचिवों की एन.आई.सी. के माध्यम से मासिक वीडियो कान्फ्रेंस प्रति माह आयोजित की जाती है।

उक्त समीक्षा के अतिरिक्त समय-समय पर आंचलिक अधिकारियों व मण्डी समितियों के सचिवों से वेबेक्स वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यकता अनुसार चर्चा विभिन्न प्राथमिकता के विषयों पर की जाती है, जो कि चुनिंदा विषयवार प्रति सप्ताह बुधवार/गुरुवार समय पृथक से सूचित किया जावेगा, पर आहूत होगी।

तीनों समीक्षा बैठकों हेतु प्राथमिकता के बिन्दुओं का स्थाई एजेण्डा संलग्न कर आवश्यक तैयारी हेतु प्रेषित है।

मुख्यालय स्थित संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी अपने विषय से संबंधित जानकारी आंचलिक कार्यालय व तकनीकी संभाग से समीक्षा बैठक के 02 दिन पूर्व तक प्राप्त कर, विश्लेषण कर अभिमत सहित प्रबंध संचालक के समक्ष प्रस्तुत व चर्चा करेंगे।

संलग्न:- स्थाई एजेण्डा।

(गौतम सिंह)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

पृष्ठा.क्र./बोर्ड/समन्वय/2023/NC/1834

भोपाल, दिनांक 10/05/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. चीफ प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. सहायक संचालक, मण्डी सचिव(समस्त शाखा), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
6. अनुभाग अधिकारी(समस्त शाखा), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

साप्ताहिक तथा मासिक वीडियो कान्फ्रेन्स के समीक्षा बिन्दु :-

1. जिंसवार उत्पादन से तुलनात्मक आवक मासिक/प्रोग्रेसिव, विपणन कार्य योजना समीक्षा।
2. जिंसवार तुलनात्मक आय मासिक/प्रोग्रेसिव।
3. उपार्जन जिंसवार तुलनात्मक मण्डी शुल्क प्राप्ति शेष।
4. जिंसवार तुलनात्मक भाव। गत वर्ष-इस वर्ष, गत वर्ष माह- इस वर्ष माह।
5. एगमार्कनेट पोर्टल तथा मण्डी बोर्ड बेवसाइट पर आवक भाव की प्रविष्टि।
6. मार्केट प्रोफाइल अपडेशन व स्वान कनेक्टिविटी भुगतान।
7. ई-मण्डी, ई-अनुज्ञा, फार्म गेट एप, ई-नेम के क्रियान्वयन की समीक्षा।
8. समयसीमा में ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाना।
9. कृषकों को 37(2)क अनुसार उसी दिन प्रांगण में भुगतान कराना।
10. दैनिक क्रय क्षमता के अनुरूप प्रतिभूति की प्राप्ति की सुनिश्चितता।
11. प्रवेश-अनुबंध-तौल-भुगतान-निकासी का दैनिक घोषवारा, पारदर्शी नीलामी।
12. कृषकों के भुगतान में डिफाल्डर फर्म से वसूली व आर.आर.सी. शेष समीक्षा।
13. बड़े तौल कांटे पर तौल को प्रोत्साहन, हम्माली-तुलाई दरों की समीक्षा।
14. फल-सब्जी मण्डियां व अक्रियाशील उपमण्डियां क्रियाशील कराना।
15. वाहन, प्रतिष्ठान, गोदाम, प्रसंस्करण फर्म, बीज उत्पादकों का भौतिक सत्यापन।
16. लेखा सत्यापन तथा पुर्नलेखा सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराना।

17. रिक्त संपदा किराए/आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही।
18. मण्डी भूमि के स्वामित्व-नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण कराना।
19. स्थाई/अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित कर, कार्य योजना बनाकर हटावाए।
20. प्रांगण में पेय जल, नमी मापक यंत्र, छलना, जैविक विपणन, छाया, प्रकाश, साफ-सफाई।
21. केण्टीन, 5/- भोजन, विश्रामगृह, बैठक, सुलभ शौचालय व्यवस्था।
22. सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की अद्यतन उपयोग स्थिति, अक्रियाशील शीघ्र दुरुस्त कराना।
23. अनुपयोगी प्रांगणों में कृषक उपयोगी, अधोसंरचना, सुविधाएं विकसित करना।
24. संपदा के रख-रखाव, मरम्मत हेतु अभियान चलाए।
25. बकाया बोर्ड शुल्क, बोर्ड ऋण तथा प्राप्त आरक्षित निधि की समीक्षा।
26. शाखाओं व प्रांगण में ड्यूटी रोटेशन से लगाना।
27. समयमान, क्रमोन्नति, परिवीक्षा अवधि, विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण।
28. अनुकम्पा नियुक्ति व पेंशन प्रकरणों का शीघ्र पूर्ण कराना।
29. माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना प्रकरण कार्यवाही।
30. ए+, सीएम हेल्पलाइन, सूचना का अधिकार, लंबित न्यायालयीन प्रकरण, शिकायतों टी.एल. की समीक्षा।


(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
भ.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल